2 415 66/1- 500 Rs.

(6)

(5) 3174

बैनामा जायदाद मकान

ज़रे समन = 5400/- रुपया

स्टाम्प = 660/- रुपया (1/500/- + 2/100/- + 3/60/-)

(1) हम दसराम पुत्र श्री उदेराम सैनी, (2) महाराम पुत्र मन्दसा, (3) जोगीराम पुत्र जीया राम, (4) रतीराम पुत्र ठाकरया, (5) पहलाद पुत्र मुख्या जाति सैनमाली निवासी मोहल्ला सैनीवास निजद गौड़ ब्राह्मण स्कूल व कालिज रोहतक असालतन व निज मिनजानिब पंचायत परस मोहल्ला सैनीवास u/o 1 Rule 8 C.P.C. (6) श्री रामा पुत्र तेजू, (7) जोगी पुत्र शोभानाथ, व (8) श्री मंगल पुत्र लादमा जाति सैनी निवासी सैनीवास रोहतक के हैं। 165 1/3

(1) जो कि एक किता ज़मीन सफेद ~~रकबा~~ रकबा 165 1/3 [illegible] जो कि अज खसरा नं: 1735 वाकय रकबा मौजा [illegible] रोहतक निजद नजदीक तालाब व गौड़ ब्राह्मण हाई स्कूल व कालिज रोहतक मंदरजा जैल [illegible] अन्दरून हदूद नगर पालिका रोहतक [illegible]

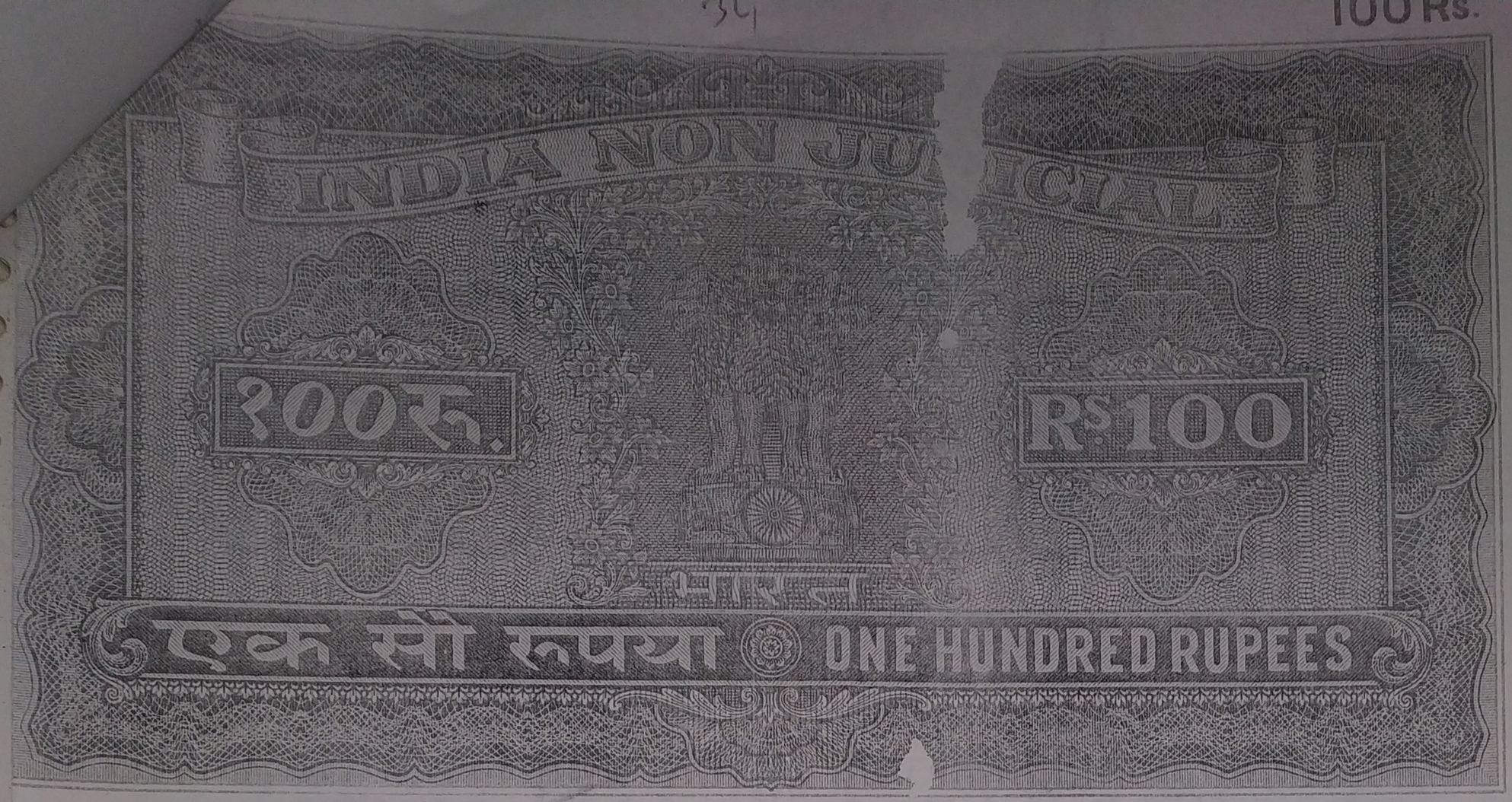

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपया ONE HUNDRED RUPEES

जिस पर गौड़ ब्राह्मण हाई स्कूल व कालिज का दरीना व जा आता है बरंग दावा दीवानी नं. 364 फैसला 30.4.74 / 12.3.75 मिल्कियत व मकबूजा हमारी है! इस में और किसी का भाग नहीं है। और जो हर प्रकार के भार से रहित है! और हमें इसका हर प्रकार से मुन्तकिल करने का पूरा अधिकार है!

पूर्व में 31'—0"
गौड़ ब्राह्मण हाई स्कूल व कालिज!

पश्चिम में 31'—0"
सड़क नगर पालिका जो आनन्दपुरा को जाती है!

दक्षिण में 48'—0"
अहाता गौड़ ब्राह्मण हाई स्कूल व कालिज

उत्तर में 48'—0"
गऊकरा तालाब रोड

[illegible]

(2) यह कि अब हम ने अपनी अपनी स्वस्थ इन्द्रियों स्वस्थ बुद्धि और स्थिर चित की अवस्था में बिना किसी के दबाव व आग्रह के अपनी अपनी प्रसन्नता से

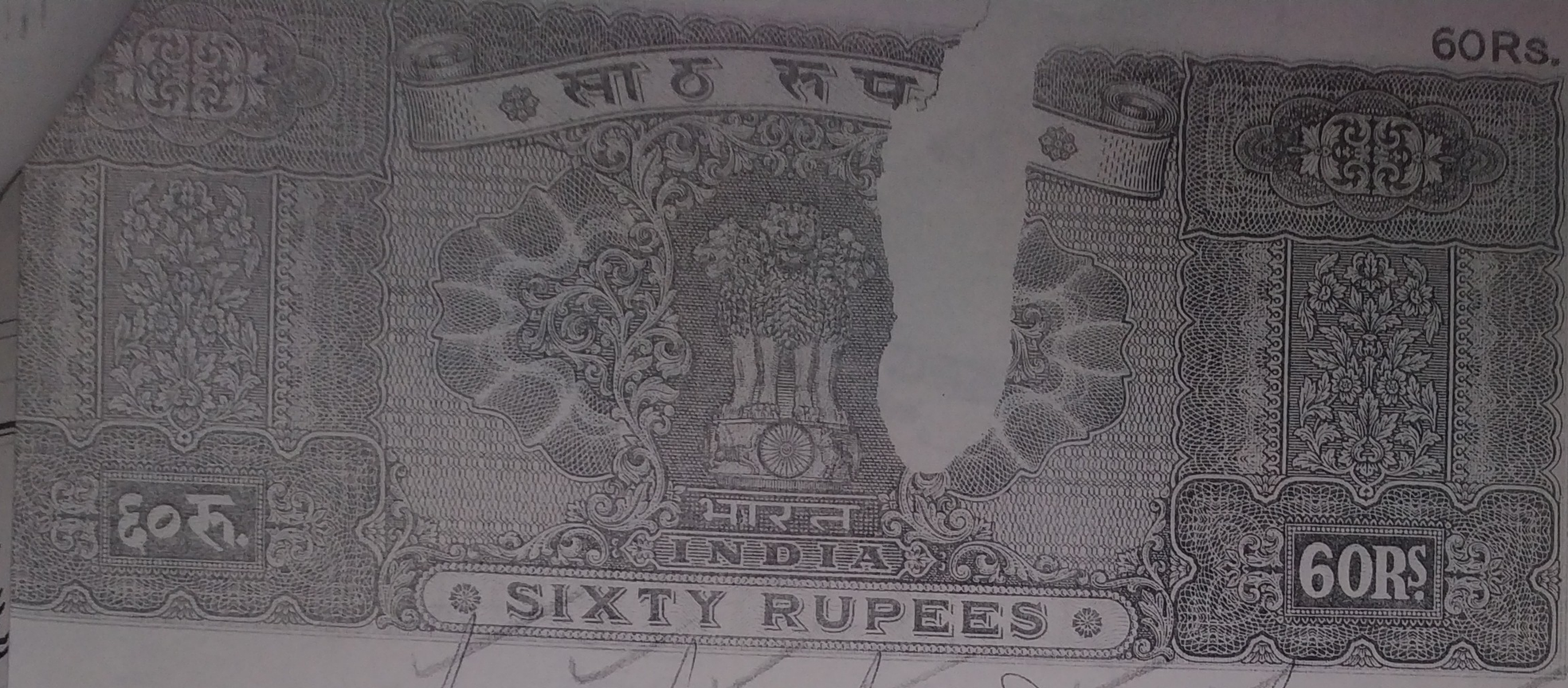

60Rs.

साठ रुप[illegible]

६०रु. भारत INDIA 60RS

SIXTY RUPEES

अपनी एक किता जमीन सफेद रकबा बरकबा 165 1/3

वर्ग गज मजकूर मंदरजा [illegible] ना। मय सुपथा हक हकूक

(जो जायदाद मजकूर के लिये) होते हैं इस प्रकार

बतिवार बामुआवजा मु. 5400/- रुपये (पांच

हजार चार सौ रुपये) आधा जिसके मु. 2700/- रुपये

(दो हजार सात सौ रुपये) होते हैं बदस्त गौड़ ब्राह्मण

विद्या प्रचारनी एसोसिएशन रोहतक बजरिये श्री

नन्द किशोर एडवोकेट रोहतक सेक्रेटरी एसोसिएशन

मजकूर के व फिरोख्त कर दी है। कुल जर समन

मु. 5400/- रुपये में से मु. 500/- रुपये पहले मुशतरी

मजकूर से वसूल कर चुके हैं बाकी मु. 4900/-

रुपये नकद अफसर रजिस्ट्री करने वाले के सामने

वसूल करेंगे। कब्जा व दखल जायदाद मुबया

मजकूर पर मुशतरी को दे दिया है। ताकाजात

माल में दाखिल खारिज दर्ज कराकर इन्तकाल

मंजूर व तसदीक करावेंगे। कुल रकमा दस्तावेज

द० जोगी राम वाला

[illegible]

इस प्रकार मुशतरी को [दे दिया] है।

(3) इकरार यह है कि - अब जायदाद मुबयना मज़कूर का मालिक बतौर हाकमा -। यदि कोई किसी तरह से जायदाद मुबयना मज़कूर की बाबत दावेदार होगा या बाकिफ होगा। उसका जवाब देही और मुशतरी के हरजे व खर्चे के हम। मेवार होंगे। यदि जायदाद मुबयना मज़कूर कुल या जुज़वी हमसे बावजह कानूनी या बयाना की वजह से कब्ज़ा व मिलकियत मुशतरी से निकल जावे तो इसकदर ज़रे समन हम मुशतरी को वापिस देने के ज़िम्मेवार होंगे। हमारे वारसान व कायममुकामान भी इस बै नामा की शरायत के पाबन्द रहेंगे।

अतः यह बै नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे तहरीर 10-12-15 (19-9-09)

बकलम छाजू राम वसीका नवीस लाइसेंस नं. 112/M. (शहर) ...

(1) निशानी देस राज बाबा स्वयं व निजवालद पंचायत मोहरना सैनीवास

(2) महाराम बाबा स्वयं व निजवालद पंचायत मोहरना सैनीवास

महाराम

(3) जोगी राम बाबा स्वयं व निजवालद पंचायत मोहरना सैनीवास

जोगीराम

(4) रत्ती राम बाबा स्वयं व निजवालद पंचायत सैनीवास

(5) प्रह्लाद बाबा स्वयं व निजवालद पंचायत मोहरना सैनीवास

(6) रामा बाबा

(7) जोगी बाबा

(8) मंगल बाबा

मंगल